प्रेस विज्ञाप्ति

::जनपद के कृषको के लिए पहले आओ पहले–पहले पाओ के आधार पर अनुदान हेतु कृषि यंत्र की सुविधा::

कृषि विभाग की योजना प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन–सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ काप रेज्ड्यू(फसल अवशेष प्रबंधन) के अन्तर्गत कृषि यंत्रो यथा–सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम(सुपर एस0एम0एस0),हैप्पी सीडर,सुपर सीडर,जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल,श्रब मास्टर,पैडी स्ट्राचापर,श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर,हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम0बी0प्लाऊ,बेलिंग मशीन,काप रीपर,स्ट्रा रेक,रीपर कम बाइण्डर के पंजीकृत किसान लाभार्थी होगे। कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल www.upagriculture.com पर दिये गये लिंक **"यंत्र पर अनुदान हेतु"** पर क्लिक करने के पश्चात अपना आधार नम्बर और मोबाइल नम्बर डालने पर ओ0टी0पी0 मोबाइल नम्बर पर आयेगा। ओ0टी0पी0 सत्यापन के उपरान्त टोकन जनरेट होगा तथा बैंक मे जमा की जाने वाली धनराशि का चालान फार्म प्राप्त होगा। चालान फार्म मे दी गई अवधि के अन्दर जमानत धनराशि अपने नजदीकी यूनियन बैक के किसी भी शाखा मे जमा करनी होगी। अनुदान पैटर्न निम्न प्रकार से होगा अधिकतम दो कृषि यंत्र लेने पर कृषि यन्त्रो के मूल्य का 50 प्रतिशत तक अनुदान,फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए एफ0पी0ओ0,सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत एन0आर0एल0एम0समूह व पंजीकृत किसान समितियों लाभार्थी होगे। रु0 5 से 15 लाख तक के परियोजना लागत पर 80 प्रतिशत अनुदान,रु0 5 से 15 लाख तक के परियोजना लागत का कम से कम 35 प्रतिशत फसल अवशेष के कृषि यन्त्रो को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। ऑन लाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त 5 दिवस के अन्दर धनराशि बैंक मे चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। कृषि यन्त्र हेतु टोकन धनराशि जमा करने के 30 दिन एंव फार्म मशीनरी बैंक हेतु अधिकतम 45 दिन के अन्दर यंत्र कय कर पोर्टल पर बिल अपलोड करना अनिवार्य हैं। जनपद मे सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम के 07,हैप्पी सीडर के 07,सुपर सीडर के 17,पैडी स्ट्रा चापर के 03, फार्म मशीनरी बैंक के 14,श्रेडर के 02,मल्चर के 04,श्रब मास्टर के 01,रोटरी स्लेसर 01,रीवरसिबल एम0बी0प्लाउ 17,बेलिंग मशीन 07,जीरो टिल सीड ड्रिल 23,काप रीपर ट्रैक्टर माउण्टेड सेल्फप्रोपेल्ड 11,रीपर कम्बाइण्डर सेल्फ सेल्फप्रोपेल्ड 11,स्ट्रा रेक 07 लक्ष्य प्राप्त है।किसान भाई अधिक से अधिक यंन्त्र कय कर योजना मे देय अनुदान का लाभ उठायें।

उप कृषि निदेशक
सिद्धार्थनगर

कार्यालय–उप कृषि निदेशक,सिद्धार्थनगर।

पत्रॉक 126 /फ0अ0/प्रेस विज्ञाप्ति/2021–22/दिनॉक– 18-6-21

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिला सूचना अधिकारी,सिद्धार्थनगर को इस निर्देश के साथ कि उक्त का प्रकाशन अपने जनहित मे सभी दैनिक सामाचार पत्र मे निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
2–समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी,जनपद–सिद्धार्थनगर।
3–जिला कृषि अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी,सिद्धार्थनगर।
4–मुख्य विकास अधिकारी,सिद्धार्थनगर।
5–जिलाधिकारी,सिद्धार्थनगर।
6–कार्यालय सूचना पट्ट हेतु।

18.6.21
उप कृषि निदेशक
सिद्धार्थनगर।

note sheet

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

File No.12-2099/95/2021- -2-

(धनराशि रुपये में)

क्र0सं0	घटक-2 कृषि यंत्रों का वितरण	अनुदान की दर अधिकतम रुपये में	अधिकतम अनुदान का प्रतिशत
1	सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस) कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ	54,290	50 प्रतिशत
2	हैप्पी सीडर		
	9 टाइन	74,000	50 प्रतिशत
	10 टाइन	76,500	50 प्रतिशत
	11 टाइन	78,500	50 प्रतिशत
	12 टाइन	82,000	50 प्रतिशत
3	पैडी स्ट्राचापर/श्रेडर/मल्चर (क) माउण्टेड टाइप स्ट्राचापर एण्ड मल्चर		
	5 फिट	74,000	50 प्रतिशत
	6 फिट	78,000	50 प्रतिशत
	7 फिट	82,000	50 प्रतिशत
	8 फिट	86,500	50 प्रतिशत
	(ख) ट्रेल्ड टाइप	1,34,000	50 प्रतिशत
4	श्रव मास्टर/रोटरी स्लेशर	22,375	50 प्रतिशत
5	हाइड्रोलिक रिवर्सेवुल एम0बी0 प्लाऊ		
	(क) 2 बाटम	71,250	50 प्रतिशत
	(ख) 3 बाटम	92,750	50 प्रतिशत
	(ग) 4 बाटम	1,14,250	50 प्रतिशत
	जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल		
6	9 टाइन	22,500	50 प्रतिशत
	11 टाइन	25,600	50 प्रतिशत
	13 टाइन	28,000	50 प्रतिशत
	15 टाइन	30,000	50 प्रतिशत
7	सुपर सीडर	1,05,000	50 प्रतिशत
8	बेलिंग मशीन		
	बेलर (राउण्ड-मिनी-14 कि0ग्रा0 से कम प्रति बेल)	1,50,000	50 प्रतिशत
	बेलर (राउण्ड-बिग-16-25	5,50,000	50 प्रतिशत

	कि0ग्रा0 से अधिक प्रति बेल)		
	बेलर (राउण्ड-चेरी बिग- 180-200 कि0ग्रा0 प्रति बेल)	[illegible],00,000	50 प्रतिशत
	बेलर (राउण्ड-रेक्टेनंगुलर- 18-20 कि0ग्रा0 प्रति बेल)	6,00,000	50 प्रतिशत
	स्ट्रा रेक	1,50,000	50 प्रतिशत
9	क्राप रीपर		
	ट्रैक्टर माउण्डेट	75,000	50 प्रतिशत
	सेल्फ प्रोपेल्ड	75,000	50 प्रतिशत
	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइण्डर (3 व्हील)	1,75,000	50 प्रतिशत
	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइण्डर (4 व्हील)	2,50,000	50 प्रतिशत

18. इन्फार्मेशन, एजूकेशन एण्ड कम्युनिकेशन

इस घटक का उद्देश्य फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए किसानों में प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागृत करना है। इस घटक के अन्तर्गत विभिन्न मदों द्वारा न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर तथा राज्य स्तर पर गोष्ठी के आयोजन, लिफ्लेट्स, पर्मानेन्ट होर्डिग्स, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो, जिंगलस, दूर-दर्शन पर ऑडियो-वीडियो क्लिप्स तथा किसानों के खेतों में प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण तथा स्कूल/कालेजों में निबंध लेखन व वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन व स्काउट गाइड, एन0एस0एस0 एवं एन0सी0सी0 संगठनों का सहयोग भी जन जागरूकता हेतु प्राप्त किए जाने के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष को जलाने से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराना है तथा उनको न जलाने से भूमि एवं पर्यावरण में जो सुधार होगा, उसके प्रति किसानों को जागरूक किया जाना तथा इससे उत्पादन में वृद्धि से भी अवगत कराया जाना है क्योंकि फसल अवशेष न जलाने से जो जैविक पदार्थ खेतों में मिलेंगे उससे खेतों में जीवांश पदार्थ की बढ़ोत्तरी होगी। निर्धारित सभी कार्यक्रमों को प्रत्येक दशा में 31 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाना है।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

27/2021/

संख्याः 1058 (1)/1372933/12-2099/95/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,

Scanned with CamScanner